IJAER/March-April 2013/Volume-2/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारतीय लोकतंत्र संभावनाऐं एवं चुनौतियाँ

Dr. Kalpana Bharadwaj

Lecturer in Political Science.

Govt PG College Sawai Madhopur Rajasthan

सार:

विभिन्न राज्यों में राजतंत्र, श्रेणीतंत्र, अधिनायकतंत्र व लोकतंत्र आदि शासन प्रणालियां काफी समय से प्रचलित रही हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी रहा है कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आरम्भ पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था। इस तत्कालीन समय में कुछ प्रतिनिकाय और लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाएँ विद्यमान थीं। लोकतंत्र में लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ व्यवस्था से है। अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का राज्य । इस प्रकार लोकतंत्र उस शासन प्रणाली से है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सम्पूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। आज भारतीय लोकतंत्र अपने सत्तरवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसमें एक नया कुलीन वर्ग अपनी तय की हुई शर्तों के अनुसार विकसित हो रहा है। अब तक के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विश्लेषणों में बहुत बड़ा होते हुये भी यह वर्ग सीमित और संकुचित हैं। अत्याधुनिक बहुराष्ट्रीय व्यक्तित्वों वाले आज के भारत में पिछले सौ वर्षों से विकसित होते हुये इस वर्ग ने अपनी खास पहचान बना ली है।

मुख्यशब्द: *गणतंत्र, राजतंत्र, अधिनायकतंत्र, लोकतंत्र या जनतन्त्र*

परिचय

विश्व में विविध प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रयोग में लायी जा रही हैं। इन प्रचलित प्रणालियों में गणतंत्र, राजतंत्र, अधिनायकतंत्र, लोकतंत्र या जनतन्त्र आदि महत्वपूर्ण हैं । इन सब में कौन सा तंत्र सर्वश्रेष्ठ है इस प्रश्न का निरपेक्ष उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इन प्रत्येक तन्त्रों में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां हो सकती हैं। वास्तव में देखा जाये तो अभी तक कोई भी तंत्र समग्र रूप से उचित रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है। कुछ अपवादों को छोड़कर देखें तो फिर भी वर्तमान में अधिकतर लोगों का झुकाव लोकतंत्र की ओर अधिक झुकता प्रतीत होता है। दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक पद्धति से शासन लोकतंत्र में लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ व्यवस्था से है ।

लोकतंत्र का अर्थ

हुआ जनता का राज्य । इस प्रकार लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सम्पूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। राज्य की उत्पत्ति के समय से ही समयानुसार शासन के इन प्रत्येक तन्त्रों में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां हो सकती हैं। वास्तव में देखा जाये तो अभी तक कोई भी तंत्र समग्र रूप से उचित रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है। कुछ अपवादों को छोड़कर देखें तो फिर भी वर्तमान में अधिकतर लोगों का झुकाव लोकतंत्र की ओर

अधिक झुकता प्रतीत होता है। दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक पद्धति से शासन विविध प्रकार परिवर्तित होते रहे हैं। लोकतंत्र समस्त जनता से नैतिक समर्थन तथा अनुकूल आचरण की अपेक्षा रखता है। संस्कृत साहित्य में 'लोकतंत्र' शब्द का प्रयोग जनता के राज्य के अर्थ में नहीं वरन् शासन अथवा राजकार्य के सामान्य अर्थ में हुआ है, जैसे महाभारत में कुबेर ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है

उद्देश्य

1. भारतीय लोकतंत्र संभावनाऐं एवं चुनौतियाँ
2. भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आरम्भ पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था।

विश्व के इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि विश्व के विभिन्न राज्यों में राजतंत्र श्रेणीतंत्र, अधिनायकतंत्र व लोकतंत्र आदि शासन प्रणालियां प्रचलित रही हैं । " ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करें तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आरम्भ पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था। इस समय कुछ प्रतिनिकाय और लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं । ऋग्वेद् में गण से अर्थ गणना अथवा संख्या से था और गणराज्य का आशय लोकतंत्र था । सभा तथा समिति नामक संस्थाओं का उल्लेख ऋग्वेद् एवं अथर्ववेद में मिलता है।

इन समितियों के माध्यम से एक ठोस राजनीति का एहसास होता है क्योंकि सभा एवं समिति के निर्णयों को लोग आपस में वाद-विवाद के रूप में स्वस्थ दृष्टिकोण से निपटाते थे । इन समितियों में विभिन्न विचारधारा के लोग कई दलों में बंटकर आपसी सलाह मशविरा कर अन्तिम निर्णय ले लेते थे। कभी-कभी इन सभा एवं समिति के सदस्य आपसी झगड़े की स्थिति में भी पहुँच जाते थे । अर्थात "वैदिक काल से ही द्विसदनीय संसद की शुरूआत मानी जा सकती है। वैसे महाभारत के शांति पर्व में 'संसद' नामक एक सभा का उल्लेख भी मिलता है क्योंकि इसमें आम जनता के लोग होते थे, इसे जन सदन भी कहा जाता था । लगता है, आधुनिक संसदीय लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे निर्बाध चर्चा और बहुमत द्वारा निर्णय तब भी प्रचलित थे । बहुमत से हुआ निर्णय अलंघनीय माना जाता था, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी क्योंकि जब सभा में लोग मिलते हैं और एक वाणी से बोलते हैं तो उस वाणी और बहुमत की अन्य लोगों द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

शब्द का अर्थ लोग कबीले से लेते थे, लेकिन इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि गण का अर्थ शासन पद्धति से है । गण का अर्थ है समूह, गणराज्य का अर्थ है समूह द्वारा संचालित राज्य अर्थात बहुत से लोगों द्वारा संचालित राज्य अर्थात प्रजातंत्र । खुदाई के दौरान कुछ विद्वानों पर भी राजाओं के चित्रों के बजाए गणों के नाम मिलते हैं। जैसे 'मालवगण की जय हो यौधेयगण की जय हो, आर्जुनायनों के गण की जय हो । "

गणराज्यों का आगे चलकर मौर्य, गुप्त, हर्षकाल में ग्राम सभाओं व पंचायतों के रूप में विकास दृष्टिगोचर होता है। ये ग्रामीण व्यवस्था को सम्पूर्ण देखरेख के साथ न्याय प्रशासन का कार्य भी देखती थीं। उ. प्र. के पूर्वी तथा बिहार के उत्तरीय प्रदेशों में शाक्य, मल्ल, लिच्छिवि और विदेह के गणराज्यों का पर्याप्त विस्तार था । गणराज्य एक प्रकार से पूर्व में स्थापित जनपदों का ही विकसित स्वरूप था । "बुद्ध ने जिन्हें महाजनपद कहा था, इन्हीं जनपदों ने आगे चलकर गणतंत्र का रूप ले लिया जो न केवल जागरूक और सुसंगठित लोकतंत्रों के

विधान और नियमों के प्रति आजकल के लोकतंत्रों से कुछ भी कम आस्था नहीं रखते थे । ये गणतंत्र मुस्लिम काल तक अपनी स्वाधीनता कायम रखने में सफल हुये, किन्तु अंग्रेजों ने सन् 1841 ई० में इन्हें समाप्त कर दिया । "

प्राचीन भारत की बात करें तो ग्रीस एवं भारत में प्रजातंत्र के रूप दिखते हैं। लेकिन मध्यकाल तक आते-आते विश्व में राजतंत्र व एकतंत्र की प्रणाली अधिकतर देखने को मिलती है । जहाँ एक ओर प्राचीनकाल एवं मध्यकाल में राजा को ईश्वर के समान माना जाने लगा। वहीं अठारहवीं सदी के तीसरे दशक में फ्रांस की महान क्रांति ने इतिहास की दशा-दिशा को ही बदल दिया। इस क्रांति के द्वारा राजा को समाप्त कर दिया गया। इसके पहले इंग्लैण्ड में चार्ल्स के वध 17वीं सदी में राजतंत्र के विरूद्ध क्रांति हो

चुकी थी । परन्तु यह बहुत कम समय के लिये था। यहीं से राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्पष्ट शुरूआत मानी जा सकती है। डॉ० सन्यात सेन ने सन् 1912 ई0 में नवचीन का निर्माण कर प्रजातंत्र की स्थापना की। वैश्विक परिदृश्य की कुछ घटनाएं सन् 1914 ई0 में जर्मनी से कैंसर की समाप्ति, सन् 1917 ई0 में रूस में जार निकोलस की हत्या, सन् 1931 ई0 में स्पेन के राजा अलफेंसों की हार । इटली में मुसोलिनी, जर्मनी से हिटलर की समाप्त से राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर विश्व अग्रसर हुआ। इतना तो स्पष्ट है कि सभ्य समाजों में शासन की जितनी प्रणालियों का आविष्कार एवं प्रयोग हुआ है उनमें लोकतंत्र सबसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत प्रणाली रही है । इसका कारण केवल यह नहीं है कि उसमें अधिकतम जनसमुदाय के अधिकतम कल्याण का लक्ष्य रहा है बल्कि मुख्य रूप से यह है कि इसमें निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं लोगों में निहित रहता है जिनके कल्याण के लिये शासन का यह तंत्र विकसित होता है, क्योंकि स्वयं जनता यह जानती है कि उसका भला बुरा किन-किन उपायों से हो सकता है। संक्षेप में लोकतंत्र का यही आशय है । यह वास्तव में 'जनता के द्वारा शासन न भी हो तो जनता का तथा जनता के लिये अवश्य होता है।"

सन् 1947 ई0 में भारत की आजादी के बाद जब यह विचार किया जा रहा था कि स्वाधीन भारत में किस तरह की शासन पद्धति अपनायी जाये तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह देखते हुये कि मानव शक्ति - उन्मुख करने के लिये कोई भी व्यवस्था इतनी अधिक प्रबल नहीं है जितना कि लोकतंत्र । वास्तव में देखा जाये तो राजनीति का शिष्टतम पड़ाव लोकतंत्र ही है। इस व्यवस्था के तहत यहाँ का जनमानस अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप अपना भविष्य तय करती है । साथ ही स्वर्णिम विकास के अवसर की उपलब्धि भी चाहती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 'लोकतंत्र स्वर्णिम विकास के लिये केवल अवसर ही उपलब्ध करा सकता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को समृद्धि, ऐश्वर्यवान और विद्वान बना सके ।

लोकतंत्र की विशेषता यह अवश्य है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिये समृद्धि और विद्वान बनाने के अवसर और प्रबुद्धता की ओर बढ़ने के मार्ग जरूर उपलब्ध होते हैं। भारतीय संविधान लोकतंत्र के लिये प्रतिबद्ध है और इस प्रतिबद्धता को शब्द भी दिये गये हैं, लेकिन इन शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र को श्रेष्ठतम मूल्यों, परम्पराओं, आदर्शों और परिपाटियों के साथ जोड़ा गया है अथवा नहीं। यदि लोकतंत्र से इन सभी श्रेष्ठतम मूल्यों, परम्पराओं, आदर्शों और परिस्थितियों को हटा दिया गया तो फिर वह अपनी समस्त गतिशीलता खो बैठेगा और जिस तंत्र में गतिशीलता न हो उसे लोकतंत्र कहा ही नहीं जा सकता ।"

वास्तविक लोकतंत्र उस समय स्थापित होता है जब सभी नागरिक न केवल सत्ता स्पर्धा में समान रूप से सहभागी होते हैं, वरन निर्माण प्रक्रिया में भी बराबर के भागीदार होते हैं। इस दृष्टि से आदर्श लोकतंत्र तभी

स्थापित हो सकता है। जब सभी नागरिक मिलकर विचार करें व निर्णय लें, परन्तु आधुनिक विशाल राष्ट्र राज्यों में ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। अतः सर्वत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र को अपनाया गया है ।"

लोकतंत्र की श्रेष्ठता के अनेक कारण हैं । सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिखर तक पहुँचने का अवसर मिल सकता है। अन्य तन्त्रों में सामूहिक नेतृत्व की परम्परा हो या एकल नेतृत्व की, हर व्यक्ति को शीर्ष पर देखने की कल्पना ही नहीं हो सकती । एकतंत्र और अधिनायकतंत्र में सत्ता के विरोध में बोलने वाला निश्चित होकर नहीं जी सकता । इतिहास बताता है कि ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार की यातनाएं अथवा मृत्यु दण्ड झेलने के लिये तैयार रहना पडता है जबकि लोकतंत्र में

राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी न्यायालय के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति का अवकाश जितना लोकतंत्र में है, एकतंत्र में नहीं हो सकता। लोकतंत्र में अच्छाइयों की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। लोकतंत्र अपेक्षाकृत सर्वोत्तम शासन तंत्र वहाँ है, जहाँ यदि इस तंत्र को संचालित करने वाले और उनका चयन करने वाले व्यक्ति सही हैं। लोकतंत्र सबसे दुर्बल शासन-तंत्र है, यदि नेता और जनता सही नहीं हैं। लोकतंत्र में लिखने, बोलने और सोचने की स्वतंत्रता है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि व्यक्ति उच्छृंखल हो जाये लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता के सिंहासन पर बैठने का अधिकार है । पर चरित्र, बल और बुद्धि बल से शून्य व्यक्ति के हाथों में सत्ता आती है, तब उसका क्या परिणाम हो सकता है ? जहाँ एक ओर शासन का प्रजातांत्रिक स्वरूप समानता, स्वतंत्रता व स्वनिर्णय को सम्भव बनाता है। वहीं लोकतंत्र राजनीतिक सत्ता वितरण का वह स्वरूप है जो सामाजिक व आर्थिक भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में प्रत्येक सदस्य को शासन का सहभागी बनाता है लोकतंत्र सबके लिये न केवल अपना शासक चुनना सम्भव बनाता है, वरन सभी के लिये शासक बनने के अवसर भी प्रदान करता है । भारत के संविधानकारों ने लोकतंत्र की इस उत्कृष्ट विशेषता को पहचानते हुये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को देश में लागू किया ।

भारतीय लोकतंत्र अपने सत्तरवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसमें एक नया प्रभु वर्ग अपने तय किये हुये मानकों के अनुसार विकसित हो रहा है। अब तक के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विश्लेषणों में बहुत बड़ा होते हुये भी भारतीय अभिजन वर्ग सीमित और संकुचित हैं। अत्याधुनिक बहुराष्ट्रीय व्यक्तित्वों वाले माइकल जैक्सन की संतानों से लेकर विश्व सुन्दरियों के प्रशंसकों, सौन्दर्य बाजार के दुकानदारों से मेघालय, बस्तर और केरल के आदिवासी क्षेत्रों के प्रभु वर्ग को आकार और

जिस तरह मानव शरीर रीढ़ के आधार पर चलता है उसी तरह लोकतंत्र चुनाव के आधार पर चलता है । इस अर्थ में चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है। चुनाव का लक्ष्य होता है सही काम के लिये सही व्यक्तियों का चयन। वर्तमान की चुनाव प्रक्रिया को देखकर लगता है कि वह मूल लक्ष्य से विस्मृत हो गया है और जैसे तैसे सत्ता हथियाना चुनाव का लक्ष्य बन गया। इस चुनाव ने उम्मीदवार, मतदाता और चुनाव आयोग को ही नहीं, लोकतंत्र की गरिमा को धूलि - धूसरित कर दिया है। "लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने के लिये चुनाव की प्रक्रिया को स्वस्थ बनाना जरूरी है। चुनाव की प्रक्रिया गलत होगी तो लोकतंत्र की जड़ें खोखली होती रहेंगी । इस बात को सब लोग समझते हैं कि चुनावी भ्रष्टाचार द्रोपदी का चीर बन रहा है, किन्तु उसका प्रतिवाद करने की क्षमता को पक्षाघात हो गया है। एक गहरी खामोशी, एक गहरी चुप्पी बढ़ती जा रही है। बुराई को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलियां डालना ही पर्याप्त नहीं है । उसके विरोध में व्यापक जन चेतना जगाने की जरूरत है। इसके साथ ही आज के राजनैतिक दलों को सोचना है कि वे क्या करना चाहते हैं भारत

में लोकतंत्र की हत्या या फिर जनता द्वारा जनता के लिये और जनता की सरकार बनाना । वोटर की अहम जिम्मेदारी यही है कि वह सिर्फ मोहर मारने या बटन दबाने तक ही सीमित न रहे। वोट के पंचवर्षीय कौथीग के आने तक उसे सक्रिय और सचेत रहना पड़ेगा ताकि आम जनमानस के व्यापक हितों का कोई भी प्रतिनिधि गला न घोंट सके । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। लोकतंत्र की गति भले ही धीमी होती है पर इसमें बेहद लचीलापन और सहनशीलता होती है ।

लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार में सामंजस्य

लोकतंत्र को जैसा हम जानते हैं, यह पूर्णतया प्राचीन पद्धति है।लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था, जैसा कि आजकल हमलोग देखते हैं। लोकतंत्र को आधुनिक स्वरूप तक पहुँचने में काफी समय लगा। लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था के विकास के क्रम में सिद्धांतों का समावेश होता गया।लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है । लोकतांत्रिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह सकती है, जहाँ सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं । लोकतंत्र के स्वीकृत सिद्धांत निम्नलिखित हैं –

विधि का शासन – पहले शासन का केंद्र राजा हुआ करता था । समस्त शक्तियाँ राजा में निहित थी, राजा की इच्छा से ही कानून बनाते थे । ऐसी शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता है । धीरे–धीरे इस शासन–व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठने लगी, जो बाद में जन आंदोलन के रूप में बदल गया ।

प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत – प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए । इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपनी सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है।

उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत – लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत भी 1688 में इंगलैंड के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आया । उत्तरदायी सरकार का अर्थ जनता की उस शक्ति से है, जिसके कारण जनता सरकार से पूछ सकती है कि जो कुछ उसने किया, वह क्यों किया और यदि वह सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उसे आगामी निर्वाचन में अपदस्थ कर सकती है।

प्रतियोगी राजनीति – प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आधुनिक सिद्धांत है । लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतियोगी राजनीति के लिए आवश्यक है कि अनेक संगठन, राजनीतिक दल व समूह प्रतियोगी रूप में उस व्यवस्था में सक्रिय रहें ।

नागरिक अधिकारों का सिद्धांत – लोकतंत्र के इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों को बुनियादी अधिकार जैसे स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार, एवं सामाजिक न्याय के अधिकार प्रदान किये जाते हैं । लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता पर आधारिक है अर्थात् किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो ।लोकतंत्र प्रतिनिधित्व एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी आधारित है । भारत में सभी नागरिकों को सार्वजनिक मताधिकार प्रदान कर इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया है ।

लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की चुनौतियाँ

आज विश्व के लगभग एक चौथाई देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र स्थापित नही हो सका है । परंतु जहाँ इसकी स्थापना हो चुकी है, उसे चुनौती देने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है । लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कई पड़ाव आये । प्रत्येक पड़ाव पर दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियाँ हैं । ये चुनौतियाँ अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकृति की हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था नहीं है, उन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठन करने की चुनौती।लोकतंत्र के विस्तार की चनौती ।लोकतंत्र को मजबूत करना लोकतंत्र की तीसरी प्रमुख चुनौती है।

लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती

1. लोकतांत्रिक सरकार गठन की चुनैती।
2. लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती ।
3. लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती ।

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ

1. सरकार के तीनों अंगों के बीच टकराव।
2. संकीर्ण दलीय राजनीति ।
3. संघ एवं इकाइयों के बीच टकराव ।
4. दलों द्वारा उम्मीदवारों के टिकट वितरण में प्रदर्शिता का अभाव।
5. राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को ज्यादा महत्त्व दिया जाना ।
6. गठबंधन के राजनीति की मजबूरी ।
7. क्षेत्रीय असंतुलन।
8. सामाजिक भेदभाव ।
9.

लोकतंत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए सझाव

1. शिक्षा एवं जागरूकता,
2. बेरोजगारी की सम्पति,
3. मूलभूत बातों पर सहमति,

4. स्थानीय स्वशासन की मजबूती,

5. समानता की स्थापना,

6. नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता की बहाली,

7. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव,

8. जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता,

9. सुधारात्मक कानूनों का निर्माण,

10. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ।

निष्कर्ष

लोकतंत्र की विशेषता यह अवश्य है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिये समृद्धि और विद्वान बनाने के अवसर और प्रबुद्धता की ओर बढ़ने के मार्ग जरूर उपलब्ध होते हैं। भारतीय संविधान लोकतंत्र के लिये प्रतिबद्ध है और इस प्रतिबद्धता को शब्द भी दिये गये हैं, लेकिन इन शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र को श्रेष्ठतम मूल्यों, परम्पराओं, आदर्शों और परिपाटियों के साथ जोड़ा गया है अथवा नहीं। यदि लोकतंत्र से इन सभी श्रेष्ठतम मूल्यों, परम्पराओं, आदर्शों और परिस्थितियों को हटा दिया गया तो फिर वह अपनी समस्त गतिशीलता खो बैठेगा और जिस तंत्र में गतिशीलता न हो उसे लोकतंत्र कहा ही नहीं जा सकता ।" वास्तविक लोकतंत्र उस समय स्थापित होता है जब सभी नागरिक न केवल सत्ता स्पर्धा में समान रूप से सहभागी होते हैं, वरन निर्माण प्रक्रिया में भी बराबर के भागीदार होते हैं। इस दृष्टि से आदर्श लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है। जब सभी नागरिक मिलकर विचार करें व निर्णय लें, परन्तु आधुनिक विशाल राष्ट्र राज्यों में ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। अतः सर्वत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र को अपनाया गया है ।"

संदर्भ

1. सिंह, महेश्वर भारतीय लोकतंत्र : समस्याएँ व समाधान- साहित्यागार, प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर, 1999

2. संधसु, ज्ञान सिंह, राजनीति सिद्धान्त - हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1983

3. गाबा ओम् प्रकाश गाबा, राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा, प्रकाशक - मयूर पेपर बैक्स नोएडा, संस्करण - 2005

4. खन्ना बी0एन0एवं अरोड़ा, लिपाक्षी, भारत की विदेश नीति, पब्लिशिंग हाउस संस्करण-2010 प्रकाशक- विकास प्रा०लि०, नई दिल्ली,

5. पांडे रामकृष्ण,भारतीय प्रजातांत्रिक प्रक्रिया एवं नागरिक असंतोष- पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1994.

6. शर्मा अशोक, भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन- अनुसंधान एवं विशद् अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1994.

7. सिंह डॉ० निशांत, लोकतंत्र और चुनाव सुधार - स्वप्निल सारस्वत, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2008.

8. मिश्र विद्यानिवास, लोक और लोक का स्वर, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2000

9. कोठारी रजनी (सं) कास्ट इन इंडियन पालिटिक्स, ओरिएन्ट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली 2010 मेनका गाँधी बनाम भारत सरकार, AIR 1978